पत्रांक–5/स.भू. विविध (बोर्ड/निगम)–106/2017 -2649 (5)/रा.,

झारखण्ड सरकार

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

प्रेषक,

उदय प्रताप,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

सभी उपायुक्त,
झारखण्ड।

राँची, दिनांक– 29-05-17

विषय :– **राज्य सरकार के विभिन्न बोर्ड/उपक्रम/निगम को अंतर्विभागीय निःशुल्क भूमि हस्तांतरण नहीं करने के संबंध में।**

प्रसंग :– राजस्व विभागीय संकल्प संख्या–4306/रा., दिनांक–24.10.2014

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि राजस्व विभागीय संकल्प संख्या–4306/रा., दिनांक–24.10.2014 की कंडिका–4 में उल्लेखित प्रावधानो के अनुसार राज्य सरकार के बोर्ड/निगम/प्राधिकार को सशुल्क भूमि हस्तांतरण किया जाना है। विभिन्न जिलों द्वारा गैरमजरूआ भूमि को विभिन्न बोर्ड/उपक्रम/निगम को अंतर्विभागीय हस्तांतरण के दायरे में लेकर निःशुल्क भूमि का हस्तांतरण किया जा रहा है, तथा कतिपय मामलों में राज्य सरकार के विभागों के बोर्ड/उपक्रम/निगम के प्रयोजनार्थ हस्तांतरण किया जा रहा है, जबकि बोर्ड अथवा अन्य उपक्रम या निगम राज्य सरकार के विभाग नहीं है एवं राज्य सरकार के व्यावसायिक उपक्रम है। उपर्युक्त राजस्व विभागीय संकल्प के विपरीत बोर्ड/निगम/प्राधिकार को निःशुल्क भूमि हस्तांतरण अथवा विभागों को उपर्युक्त प्रयोजन हेतु निःशुल्क हस्तांतरण उपायुक्तों के क्षेत्राधिकार से बाहर है एवं इस प्रकार निर्गत स्वीकृत्यादेश की पुनर्समीक्षा कर राज्य सरकार के संकल्प के अनुसार कार्यवाही की जाय। यदि बोर्ड/निगम/ प्राधिकार को निःशुल्क भूमि हस्तांतरण किये जाने की मामला विशेष परिस्थिति में आवश्यक हो तो विधिवत प्रस्ताव गठित कर विभाग को आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजा जाय।

अतएव अनुरोध है कि बोर्ड/उपक्रम/निगम/प्राधिकार को सशुल्क अथवा निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराने की आवश्यकता हो तो विधिवत प्रस्ताव गठित कर प्रमंडलीय आयुक्त के माध्यम से विभाग को समर्पित करने की कृपा की जाय ताकि उसपर सक्षम प्राधिकार की स्वीकृति प्राप्त करते हुए भूहस्तांतरण की कार्रवाई की जा सकें।

यदि राज्य सरकार द्वारा सक्षम प्राधिकार की स्वीकृति से बोर्ड/निगम/प्राधिकार/उपक्रम को भूमि हस्तांतरण के संदर्भ में निःशुल्क भूमि हस्तांतरण हेतु राजस्व विभागीय संकल्प संख्या–4306/रा., दिनांक–24.10.2014 एवं पत्रांक–3026/रा., दिनांक–07.10.2010 को शिथिल कर संकल्प/परिपत्र निर्गत है अथवा निर्गत किया जाता है तो उसपर यह पत्र प्रभावी नहीं होगा।

विश्वासभाजन

29/5/17

(उदय प्रताप)
सरकार के संयुक्त सचिव।